प्रतिवेदन विरूद्व प्रतिकूल प्रविष्टि वर्ष 2022–2023 द्वारा तत्कालीन जिला जज, औरैया श्री अनिल कुमार वर्मा।

महोदय,

दिनांक 05.08.2023 को जिला जज औरैया द्वारा दी गई वार्षिक प्रविष्टि ई–सर्विसेज पोर्टल पर अपलोड की गयी है। स्तम्भ संख्या–1(J) 1(M) तथा स्तम्भ संख्या–4 में प्रतिकूल प्रेक्षण अंकित किया गया है।

<u>स्तम्भ संख्या–1J</u>

यह स्तम्भ साथी अधिकारियों के साथ रिश्ते के सम्बन्ध में है, परन्तु जिला जज महोदय के द्वारा इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी की ही नहीं गई है और यह लिखा गया है कि Positively leading since there were several complaints in oral with regards to corruption. यह टिप्पणी पूर्णतया निरर्थक, निराधार और इस कालम से कत्तई सम्बन्धित नहीं है, क्योंकि स्तम्भ 01 (A) में जिला जज महोदय ने मेरे लिये सत्य निष्ठा Beyond Doubtful लिखा है। इस प्रकार मेरी सत्यनिष्ठा स्तम्भ–1A में Beyond Doubtful अंकित है तो साथी अधिकारियों के सम्बन्ध में यह टिप्पणी पूर्णतया विरोधाभासी और निरर्थक है। अतः इस प्रविष्टि को वहिकृत (Expunge) किया जाय।

<u>स्तम्भ संख्या–1(m).</u>

The officer is not amenable to the advice of the District Judge. He is insubordinate as well.

इस स्तम्भ के सम्बन्ध में मेरा यह प्रत्यावेदन है कि जिला जज महोदय ने यह उल्लेख नहीं किया है कि मैंने उनके किस सलाह का उल्लंघन किया अथवा किस आदेश के विपरीत कार्य किया। अग्रेतर मेरा यह अनुरोध है कि यह टिप्पणी लिखने के पीछे निम्न कारण हैंः–

1. मैंने दिनांक 6 जुलाई, 2022 को जनपद औरैया में वरिष्ठतम् अपर जनपद न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया और मैं प्रभारी अधिकारी प्रशासन, केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी तथा चयन समिति का वरिष्ठतम् सदस्य था।

2. उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रूल 2013 के नियम–2 उपखण्ड –6 में चयन प्राधिकारी परिभाषित है, जिसका तात्पर्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष, वरिष्ठतम् ए0डी0जे0 सदस्य तथा सिविल जज (सी0डि0) सदस्य होते है। इस प्रकार इस नियमावली के अन्तर्गत चयन समिति का वरिष्ठतम् सदस्य था।

3. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर विभिन्न संवर्गो में प्रोन्नति की प्रक्रिया की जानी थी और 11 जुलाई, 2022 को मेरे द्वारा जिला जज को लिखित रिपोर्ट भेजी गयी कि इस जनपद में कुल 14 कर्मचारी कनिष्ठ सहायक

के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन श्रीमती ऊषा देवी को छोड़कर प्रोन्नति के लिए किसी की पांच वर्ष की अर्हता सेवा पूर्ण नहीं है।

4. उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रूल 2013 की अनुसूची–ख के अनुसार ऐसे कनिष्ठ सहायक जिन्होंने पांच वर्ष की अर्हता सेवा पूर्ण किया हो, केवल वही प्रोन्नति के पात्र हैं। मुझसे पूर्व भी दो अपर जनपद न्यायाधीशों श्री राजेश चौधरी व श्री सुनील कुमार ने इन कर्मचारियों की प्रोन्नति करने से इसी आधार पर इन्कार कर दिया था।

5. दिनांक 25 जुलाई, 2022 को मैं आकस्मिक अवकाश पर इलाहाबाद आया था कि जिला जज ने मुझे अनुपस्थित दिखाते हुए कुल 13 कर्मचारियों से अवैध पारितोषिक (50,000.00 रूपये प्रति अभियर्थी) ले करके स्वयं अपने व सिविल जज के हस्ताक्षर से प्रोन्नति का आदेश पारित कर दिया, जब कि शासनादेश के अनुसार यदि न्यूनतम अर्हता सेवा पूर्ण नहीं है तो माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्वारा नियम से शिथिलीकरण की अनुमति आवश्यक थी,(शासनादेश संख्या वे0अ0–2–44/10–54 (M) 2008 TC 17, Juanry, 2014) किन्तु जिला जज महोदय ने स्वयं ही प्रशासनिक जज की शक्तियों को ग्रहण करते हुए अवैधानिक आदेश के द्वारा असंगत शासनादेशों की सहायता से प्रोन्नति कर दिया। इस आदेश की छायाप्रति माननीय न्यायालय के अवलोकन के लिए **संलग्नक–1** के रूप में संलग्न की जा रही है।

6. माननीय जिला जज महोदय का उपरोक्त अवैध आदेश दीवानी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के वाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ और विभिन्न जनपदों से इस आदेश की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि देने के लिए जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्राप्त होने लगे, तब मेरे संज्ञान में पहली बार आया कि जनपद न्यायाधीश महोदय यह जानते हुए कि मैं ऐसे अवैध रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं करूँगा तो उन्होने मुझे अनुपस्थित दिखाकर उक्त आदेश पारित कर दिया। चूँकि मैं केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी था, इसलिए प्रशासनिक कार्यालय से यह कथित आदेश मुझे प्राप्त हुआ।

7. जब उक्त आदेश की जानकारी मुझे प्राप्त हुई, तब मैंने माननीय जिला जज महोदय को उक्त आदेश की अवैधानिकता एवं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रूल 2013 के उल्लंघन और माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति से बिना शिथीलीकरण स्वीकृति कराए आदेश पारित करने के सम्बन्ध में दिनांक 18 जनवरी, 2022 को एक पत्र लिखा कि महोदय उक्त आदेश को अविलम्ब निरस्त किया जाय, क्योंकि सिविल कोर्ट में यह चर्चा होने लगी है कि प्रत्येक कर्मचारी से रूपये 50,000/– की वसूली करके यह प्रोन्नति आदेश पारित किया गया है। मेरे द्वारा जनपद न्यायाधीश महोदय को सम्बोधित पत्र **संलग्नक–2** है। इस संलग्नक का माननीय न्यायालय से विनम्र अनुरोध

है कि परिसीलन किया जाय।

8. दिनांक 24 जनवरी, 2023 को मैंने चयन समिति के सदस्य सिविल जज (सी0डि0) श्री दिवाकर प्रसाद को 12 बिन्दुओं पर आख्या मांगी कि आपने किस प्रकार अपना हस्ताक्षर किया, क्योंकि इस रिपोर्ट के द्वारा तेरह कनिष्ठ सहायकों को 02 वर्ष 08 माह की सेवा में ही प्रोन्नति दी गई, लेकिन श्री दिवाकर प्रसाद ने आज तक इस नोटिस का कोई उत्तर मुझे नहीं दिया और यह बताया कि जिला जज के कहने पर उन्होने इस अवैध रिपोर्ट पर दस्तखत कर दिया। उन्हें किसी शासनादेश व कानून की जानकारी नहीं थी। सदस्य चयन समिति श्री दिवाकर प्रसाद को निर्गत नोटिस दिनांकित 24.01.2023 **संलग्नक–3** के रूप में अनुशीलन हेतु संलग्न की जा रही है।

9. मेरे द्वारा उठाये गये इस कदम से जिला जज महोदय ने अपने आदेश संख्या–4/23 दिनांकित 03.02.2023 के द्वारा समस्त प्रोन्नति आदेश को निरस्त कर दिया, जिससे उन्हें अवैध पारितोषित के धनराशि को वापस करना पड़ा जिला जज महोदय द्वारा पारित निरस्तीकरण आदेश **संलग्नक–4** के रूप में संलग्न है।

10. मेरे समक्ष जनपद औरैया में सत्र परीक्षण संख्या–174 सन् 2017 एवं सत्र परीक्षण संख्या–175 सन् 2017 लम्बित था, जिसमें मैने 27 जुलाई 2022 को बहस सुनकर 04 अगस्त 2022 को निर्णय के लिये सुरक्षित किया और इस विचारण में मैने तीन अभियुक्तों की दोषसिद्धि लेखबद्ध कर लिया था, केवल निर्णय सुनाना शेष था। एक दिन पूर्व अर्थात 03 अगस्त, 2022 को जिला जज ने बुलाकर कहा कि संदीप उर्फ गुड्डा वाले केस में क्या कर रहे हो, तब मैने उन्हें बताया कि दोष सिद्धि रिकार्ड कर चुका हूँ। अगले दिन बिना किसी कारण के जिला जज ने पत्रावली अपने पास रिकाल कर लिया, जिससे क्षुब्ध होकर वादी ने माननीय उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र जिला जज के विरूद्ध प्रस्तुत किया और यह पत्रावली विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के न्यायालय में अन्तरित हुई, जहॉ से सभी अभियुक्तगण दोषसिद्ध प्राप्त हुये। इस प्रकार जिला जज महोदय ने अपने तिर्यक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके।

11. दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 को सत्र खण्ड औरैया में लम्बित विचारण राज्य बनाम जितेन्द्र यादव सत्र परीक्षण संख्या–71 सन् 2019 अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी, भा0 दं0 सं0 व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना अछलदा मेरे न्यायालय में अन्तरित की गयी, जिसमें समस्त प्रतिरक्षा साक्ष्य लेने के उपरान्त मैने इस पत्रावली में लिखित बहस और मौखिक बहस सुनकर 09 जनवरी, 2023 को निर्णय के लिये सुरक्षित किया, लेकिन 06 जनवरी 2023 को पुनः सत्र न्यायाधीश महोदय ने बुलाकर चैम्बर में कहा कि यह मुकदमा छूट रहा हो तो बता दो मैने इन्कार कर दिया कि महोदय अभी निर्णय लिखाना शेष है। अकारण प्रशासनिक आदेश से इस पत्रावली को

बिना किसी कारण अपने न्यायालय में रिकाल कर लिया। यह रिकाल आदेश **संलग्नक–5** के रूप में संलग्न किया जा रहा है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि इसका परिशीलन किया जाय। जब सत्र परीक्षण संख्या–71 सन् 2019 राज्य बनाम जितेन्द्र की पत्रावली जिला जज ने अपने पास रिकाल किया तो इस घटना के वादी सेवानिवृत्त क्षेत्राधिकारी लखपति सिंह ने जिला जज के न्यायालय में बार–बार आरोप लगाया कि सत्र न्यायाधीश महोदय ने अभियुक्त से रूपये पच्चीस लाख में सौदा करके यह पत्रावली रिकाल कर लिया है। इस शिकायत पत्र की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि मैने प्राप्त किया है, जिसे **संलग्नक–6** के रूप में संलग्न किया जा रहा है।

12. जिला जज महोदय के इस आचरण से न केवल वादी क्षुब्ध था, बल्कि अभियुक्त के अधिवक्ता ने भी माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को जिला जज के विरूद्व शिकायत प्रेषित किया, जिसमें कुछ काल रिकार्ड भी है, जो माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष आज भी विचाराधीन है। यह शिकायत पत्र **सलग्नक–7** के रूप में संलग्न किया जा रहा है।

13. उपरोक्त कारणों से जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय औरैया ने मेरे विरूद्व प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित किया है, क्योंकि मैं उनके अवैध कार्य में कोई सहयोग नहीं कर पा रहा था, जो कि समस्त संलग्नको के अवलोकन से यह पुष्ट हो रहा है। इसी प्रकार अपने तिर्यक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मुझे ही नहीं, बल्कि अन्य अधिकारियों पर भी दबाव बनाते थे। इसके अतिरिक्त माननीय महोदय ने प्रत्येक न्यायालय को अपने आर्थिक दोहन से त्रस्त कर रखा था और मुझे इसका अनुभव तब हुआ जब मेरे 11 माह के कार्यकाल में पांच बार रीडर को बदला, पहला रीडर चन्द्रशेखर शुक्ला जो हटाया गया, उसने बताया कि प्रत्येक न्यायालय से जिला जज एक निश्चित रकम प्रतिमाह लेते हैं और रीडर तथा क्लर्क नहीं दे पाता है तो उसे बदल दिया जाता है।

स्तम्भ संख्या–4

यह स्तम्भ अन्य टिप्पणी के सम्बन्ध में है, जिसने जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने निम्न अंकन किया है।

प्रत्यावेदन

1. इस टिप्पणी का दो भाग में प्रतिउत्तर दिया जाता है। जनपद न्यायालय कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के प्रोन्नति तृतीय श्रेणी संवर्ग में की जानी थी, लेकिन मैं समिति का वरिष्ठतम् सदस्य था। मेरे उपस्थित रहते जिला जज महोदय मनमाना नहीं कर पा रहे थे। उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रूल 2013 की अनुसूची ख में इस प्रोन्नति के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा–निर्देश दिये गये हैं कि यह प्रोन्नति पूर्णतया वरिष्ठता कम गुणवत्ता के आधार पर की जाएगी। इसका उल्लंघन करने के उद्देश्य से जिला जज महोदय ने दिनांक 27.09.2022 को आदेश

संख्या–202/2022 पारित किया है कि **नाजिर की रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी श्री विनोद कुमार, श्री लाखन यादव, श्री राजेश यादव, श्री राजेश कुमार, श्री सीताराम, श्री मोहित कटियार का कार्य व आचरण ठीक नहीं है, इसिलए उनका एक–एक वेतन वृद्वि रोक दी जाय।** मैंने 27 वर्ष की सेवा में पहली बार ऐसा सामूहिक दण्डादेश देखा और इसका उद्देश्य जिला जज महोदय के द्वारा पूर्व में चयनित कर्मचारी को प्रोन्नति देने के उद्देश्य से किया गया है, जिससे उपरोक्त सात कर्मचारी के वरिष्ठता का अतिलंघन किया जा सके। क्योंकि पहले से ही तयशुदा कर्मचारियों को प्रोन्नति देने के लिए एक लम्बी धनराशि तय कर लिया था।

जिला जज महोदय ने इस ए0सी0आर0 के साथ शिकायत पत्र की कोई प्रति संलग्न नहीं किया है, जिससे इसका समुचित उत्तर दिया जा सके, परन्तु जहां तक मुझे ज्ञात है इन कर्मचारियों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में इस बात की शिकायत की गयी है कि उनकी वरिष्ठता को लांघने के उद्देश्य से जिला जज महोदय ने सामूहिक दण्डादेश दे दिया, जिससे जिला जज महोदय चयनित कर्मचारियों से आर्थिक दोहन कर सकें। मेरा स्थानान्तरण 11 मई, 2023 को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय गौतम बुद्व नगर के पद पर हो गया था इसलिए उसके पश्चात्वर्ती विकास की मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब यह शिकायती पत्र माननीय उच्च न्यायालय से जिला जज को पहुंचा है तो जिला जज महोदय ने इन कर्मचारियों का दण्डादेश वापस लेने का लालच देकर शपथपत्र प्राप्त कर लिया कि उनके द्वारा शिकायत नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रूल 2013 के नियम 23 में दण्डादेश को पुर्नविलोकित करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जनपद औरैया के सत्र न्यायाधीश कई कर्मचारियों का दण्ड देते थे और अवैध लाभ लेकर दण्डादेश समाप्त कर देते थे। यह बड़ा सामान्य सा अनुभव है कि प्रायः साक्षी लालचवश पक्षद्रोही हो जाते हैं। इस प्रकार इन कर्मचारियों को दिया गया दण्डादेश वापस ले लिया गया। इसलिए उनके द्वारा यह शपथपत्र दे दिया गया था कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं किया था। संलग्न शपथपत्र, जो ए0सी0आर0 के साथ प्राप्त हुए हैं उसमें कहीं भी किसी कर्मचारी ने यह उल्लेख नहीं किया है कि यह शिकायत पी0 एन0 श्रीवास्तव ने किया अथवा करवाया है। अतः यह स्तम्भ पूर्णतया असंगत और निरर्थक है। कर्मचारियों को दिये गये इस सामूहिक दण्डादेश की प्रति **संलग्नक–8** के रूप में संलग्न की जा रही है।

2. इस टिप्पणी के दूसरे भाग में यह अंकित किया गया है कि मैं न्यायालय कार्य अवधि में न्यायिक अधिकारियों की मीटिंग लेता था। महोदय से इस सम्बन्ध में निवेदन है कि जिला जज ने मेरे वार्षिक टिप्पणी के स्तम्भ–1 (L) में यह लिखा है कि मैं Punctual & Regular था। इसके विपरीत टिप्पणी में यह अंकन कि मैं मीटिंग कोर्ट आवर में मीटिंग लेता था, यह स्वयं मिथ्या हो जाता है। यद्यपि मैं

जनपद के आधारभूत उपसंरचना समिति का अध्यक्ष था, जिसके सदस्य सिविल जज (सी0डि0) व सिविल जज (जू0डि0) थे। माह में मुझे कम से कम दो बार उनके साथ मीटिंग करनी होती थी, जिसके लिए लिखित सूचना जाती थी और लिखित सूचना में अंकित रहता था कि कब और किस तिथि को मीटिंग में उपस्थित होना है, क्योंकि जिला जज के पास कोई साक्ष्य नहीं है। इसके उपरान्त भी व्यक्तिगत द्वेश से ऐसी टिप्पणी अंकित की है, जो उनके स्वयं के प्रेक्षण के विपरीत है। अन्ततः मैं माननीय न्यायालय से विनम्र अनुरोध करता हूॅ कि मेरे प्रतिवेदन और उसके साथ संलग्नको का अवलोकन करते हुए स्तम्भ–1 (J), स्तम्भ–1 (M) तथा स्तम्भ–4 की टिप्पणी वहिकृत (Expung) कर दिया जाय।

3. मैने इस वर्ष में 55 पुराने वाद एक्शन प्लान की समस्त पत्रवालियां व 10 निष्पादन वाद के साथ 227 प्रतिशत कार्य किया है। अतः जिला जज महोदय द्वारा दी गयी ग्रेडिंग उच्चीकृत किया जाय।

4. माननीय न्यायालय से यह भी विनम्र अनुरोध है कि ऐसे सत्र न्यायाधीश, जो हत्या के दोषी को केवल 08 वर्ष की सजा दे सकता है, उन्हें अपने अधीनस्थ की योग्यता क्षमता परखने का क्या योग्यता हो सकती है, शायद उसका अनुमान लगाना मुश्किल है।

5. मैं माननीय सत्र न्यायाधीश के द्वारा सत्र परीक्षण संख्या–230 सन् 2018 राज्य बनाम जितेन्द्र सिंह में पारित निर्णय माननीय न्यायालय के अवलोकन के लिए संलग्न कर रहा हूॅ, जिसमें मृतका की हत्या गला घोंटकर की गयी है, लेकिन माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय ने यह प्रेक्षण किया है कि हत्या तो की गयी है, लेकिन दहेज के लिए की गयी है, इसलिए धारा 302 भा0 दं0 सं0 में दोषमुक्त किया जाता है और धारा 304बी भा0 दं0 सं0 में दोषसिद्व किया जाता है। ऐसी योग्यता वाले सत्र न्यायाधीश कभी भी किसी अधीनस्थ का सही परिपेक्ष्य में मूल्यांकन करने के लिए सक्षम नहीं हैं। यह निर्णय **संलग्नक–9** के रूप में संलग्न किया जा रहा है। कृपया संलग्नक–9 के पृष्ठ 11 एवं पृष्ठ 15 का अवलेकन करने की कृपा करें।

अतएव निवेदन है कि मेरे प्रतिवेदन पर विचार करते हुए यथोचित आदेश पारित करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय,

(पी0 एन0 श्रीवास्तव)
पीठासीन अधिकारी,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, भदोही।
(तत्कालीन अपर सत्र न्यायाधीश औरैया)

दिनांक 09.08.202023

Digitally signed by Prakash Nath Srivastava
Date: 2023.08.09 12:38:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court